रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 1998/पौष 26, 1919
No. 36] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 1998/PAUSA 26, 1919

## वित्त मंत्रालय

### राजस्व विभाग

### (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

आय-कर

**का.आ. 50 (अ).**—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये 22 सितम्बर, 1997 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 87 में "पच्चीस" शब्द के स्थान पर "सत्ताईस" शब्द रखा जाएगा;

(ख) नियम 88 में, "उसके प्रत्येक वर्ष के उस वेतन के पच्चीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "21 सितम्बर, 1997 तक उसके प्रत्येक वर्ष के उस वेतन के पच्चीस प्रतिशत और 21 सितम्बर, 1997 के पश्चात् उसके प्रत्येक वर्ष के उस वेतन के सत्ताईस प्रतिशत" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 142/79/97-टी पी एल/सं० 10507]

आर. एन. दास, निदेशक

**स्पष्टीकरण टिप्पणी .**—अभिदाय, जिसका संदाय कर्मचारी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के अधीन निधि में किया जाएगा, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का अध्यादेश सं. 17) द्वारा 22-9-1997 से घटा कर 8-1/3 प्रतिशत से दस प्रतिशत और दस प्रतिशत से बारह प्रतिशत कर दिया गया है । अभिदाय में दस प्रतिशत से बारह प्रतिशत करने की उक्त वृद्धि के फलस्वरूप यह विनिश्चय किया गया है कि आय-कर नियम, 1962 के नियम 87 और नियम 88 का संशोधन किया जाए जिससे

कि नियोजक और कर्मचारी द्वारा दोनों को मिलाकर निधि में साधारण वार्षिक अभिदाय और प्रारंभिक अभिदाय 22-9-1997 से भूतलक्षी प्रभाव से पच्चीस प्रतिशत से बढ़ा कर सत्ताइस प्रतिशत किया जा सके। यह प्रमाणित किया जाता है कि आय-कर नियम, 1962 के नियम 87 और नियम 88 का प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से करने से निर्धारितियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

**पाद टिप्पणी :—**

मूल नियम अधिसूचना का.आ. सं. 969 तारीख 26-3-1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनके अंतिम संशोधन का.आ. सं. 34 (अ) तारीख 12-01-1998 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किया गया ।

**MINISTRY OF FINANCE**

**Department of Revenue**

**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 1998

INCOME-TAX

**S.O. 50 (E)**.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Second Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 22nd day of September, 1997.

2. In Income-tax Rules, 1962,—

(a) in rule 87, for the word "twenty-five", the word "twenty-seven" shall be substituted;

(b) in rule 88, after the words "employees salary for each year", the words "up to the 21st September, 1997 and after 21st September, 1997, twenty-seven per cent of the employee's salary for each year" shall be inserted.

[F. No. 142/79/97-TPL No. 10507]

R.N. DASH, Director

**Explanatory Notes :**—The contribution, which shall be paid by the employee to the Fund under section 6 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) has been increased with effect from 22-9-1997 from eight and one-third per cent. to ten per cent. and from ten per cent. to twelve per cent. by the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions (Amendment) Ordinance, 1997 (17 of 1997). Consequent to the said increase in the contribution from ten per cent. to twelve per cent. it has been decided to amend rule 87 and 88 of the Income-tax Rules, 1962 so as to increase retrospectively with effect from 22-9-1997 the ordinary annual contribution and initial contribution to the Fund by the employer and employees taken together from twenty five per cent to twenty-seven per cent. It is certified that the retrospective effect to the proposed amendment of rules 87 and 88 of Income-tax Rules, 1962 shall not prejudicially affect the interests of assessees.

**FOOT NOTE :**—The Principal rules were published vide Notification being S.O. No. 969 dated 26-3-1962 and last amended by Notification published under S.O. No. 34 (E) dated 12th January, 1998.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.